न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़ आरएएस

प्रकरण सं. 65/2015/251–ए आरटीए

श्रीमती रेनू राठौड़ पत्नी श्री विक्रम सिंह शेखावत जाति राजपूत नि0 बी–47/48 प्रेमनगर, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर

प्रार्थीया

ब ना म

1. इकबाल पुत्र श्री फतु खां कायमखानी मुसलमान नि0 गौरिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. भंवरलाल पुत्रश्री मालूराम जाति कहार नि0 कहारों की ढाणी तन बाजौर तहसील व जिला सीकर
3. गुलाबी पत्नी श्री चौथूराम जाति कहार नि0 कहारों की ढाणी तन बाजौर तहसील व जिला सीकर
4. भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन समिति, सीकर जरिये अध्यक्ष श्री राघवाचार्य जी हाल रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
6. नायब तहसीलदार, उप तहसील पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री योगेश शर्मा वकील प्रार्थीया की ओर से
2. श्री भंवरसिंह शेखावत वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से

निर्णय दिनांक– 04.09.2015

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ग्राम कहारों की ढाणी प.मं. मलकेड़ा तहसील व जिला सीकर में खसरा नं. 700 मि. रकबा 0.4400 है0 कुल रकबा 0.4400 है0 अवस्थित है। उक्त भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रैवासा प.मं. रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नं. 130 रकबा 0.50 है0 की उतरी सीमा के सहारे 50 मीटर लम्बा तथा खसरा

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

नं. 136 रकबा 0.22 है0 की उतरी सीमा के सहारे 120 मीटर लम्बर तथा 30 फीट चौड़ा रास्ता संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार अनावेदक सं. 1 ता 4 की उतरी सीमा के सहारे कुल 170 मीटर लम्बा व 30 फीट चौड़ा क्षेत्रफल 1554.45 वर्गमीटर रास्ता चाहते है। चाहे गये रास्ते का अंकन अनावेदकगण की संलग्न नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीया के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं प्रार्थीया को अपने खेत में खसरा नं. 700 मी. रकबा 0.44 है. जो वाहमी बंटवारा के अनुसार संलग्न नक्शा में है, में पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यक है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीया अपने खातेदारी के उपयोग उपभोग करने से संपूर्णतया वंचित हो जायेंगे। यह प्रार्थना पत्र हमारी खातेदारी भूमि के बेहतर उपयोग हेतु प्रस्तुत न करते हुए रास्ते के सम्बन्ध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहे है एवं इस्तदुआ प्रस्तुत करती हूँ कि हमें खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 700 मि. रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम कहारों की ढाणी प.मं. मलकेड़ज्ञ तहसील व जिला सीकर के उपयोग उपभोग हेतु वांछनीय एकमात्र रास्ता जो खसरा नं. 130 रकबा 0.05 है0 व खसरा नं. 136 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में से संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार अनावेदक सं. 1 ता 4 की उतरी मे़ के सहारे सहारे 170 मीटर तथा चौड़ा 30 फीट क्षेत्रफल 1554.45 वर्गमीटर दिलवाने की कृपा करें। यह कि खातेदार कुरड़ाराम पुत्र मालुराम कहार फौत हो चुका है जिसके उसके भाई अनावेदक सं. 2 के अलावा अन्य कोई वारिश नहीं है। आवेदन के साथ नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेश ग्राम कहारों की ढाणी प.मं. मलकेड़ा तहसील सीकर व ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की पेश की गई है।

2. आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं उप तहसीलदार, पलसाना से मौका रिपोर्ट एवं उप पंजीयक, पलसाना से डीएलसी दर चाही गई। अप्रार्थी सं. 5 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से वकील श्री भंवरसिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया एवं इकबालिया जवाब बिन्दुवार पेश कर निवेदन किया कि आवेदिका को प्रस्तावित रास्ता दिया जाता है तो हमें किसी प्रकार का मुआवजा एवं जमीन की आवश्यकता नहीं है। उप तहसीलदार, पलसाना ने पत्रांक भूअ/15/776 दिनांक 5.8.2015 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक प्रार्थीया रेनू राठौड़ के चाहे गये ख.नं. 136 रकबा 0.22 है0 में से 131X9 = 1179 वर्गमीटर व ख.नं. 130 में से 52X9 = 468 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 1647 वर्गमीटर रास्ते की आवश्यकता होगी। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रैवासा सड़क पर अवस्थित है जिसकी डीएलसी दर 8,47,550 रू. प्रति है. है जिसमें रास्ता प्रयोजन हेतु भूमि 0.1647 है0 भूमि की पंजीयन दर के आधार पर मालियत 1,39,591 रू. होती है

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

उक्त पंजीयन दर के आधार पर 2 गुणा मालियत 2,79,182 रू. होती है। एवं उप पंजीयक, पलसाना द्वारा डीएलसी दर पेश की गई जो शामिल मिसल की गई।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि आवेदित रासते के अलावा प्रार्थीया के खेत में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है उक्त रास्ता दिये जाने मे नियमानुसार राशि का भुगतान पक्षकारान को किया जायेगा। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने बहस के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से दिये गये इकबालिया जवाब को दोहराते हुए कथन किया कि मौके पर रास्ता चालू है किन्तु राजस्व अभिलेख मे अंकन नही है प्रार्थीया द्वारा चाहे गये उक्त रास्ता का राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाता है तो किसी प्रकार का मुआवजा व बदले में जमीन नहीं की मांग नहीं की जायेगी।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं उप तहसीलदार पलसाना के पत्रांक भूअ/15/776 दिनांक 5.8.2015 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व उप पंजीयक पलसाना द्वारा प्रस्तुत डीएलसी दर का अवलोकन किया गया। उप तहसीलदार, पलसाना ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक प्रार्थीया रेनू राठौड़ के चाहे गये ख.नं. 136 रकबा 0.22 है0 में से 131X9 = 1179 वर्गमीटर व ख.नं. 130 में से 52X9 = 468 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 1647 वर्गमीटर रास्ते की आवश्यकता होगी। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रैवासा सड़क पर अवस्थित है जिसकी डीएलसी दर 8,47,550 रू. प्रति है. है जिसमें रास्ता प्रयोजन हेतु भूमि 0.1647 है0 भूमि की पंजीयन दर के आधार पर मालियत 1,39,591 रू. होती है उक्त पंजीयन दर के आधार पर 2 गुणा मालियत 2,79,182 रू. होती है। वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने अपने इकबालिया जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थीया को प्रस्तावित रास्ता दिया जाता है तो हमें किसी प्रकार का मुआवजा एवं जमीन की आवश्यकता नहीं है। भू अभिलेख निरीक्षक, रैवासा एवं पटवारी हल्का, रैवासा की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ख.नं. 130 रकबा 0.05 है0 की खातेदारी गुलाब देवी पत्नी चौथूराम जाति कहार, इकबाल खां पुत्र फतुखा जाति कायमखानी मुसलमान नि. गौरिया, भंवरलाल, कुरड़ाराम पुत्रगण मालूराम जाति कहार नि. कहारों की ढाणी तन बाजौर एवं ख.नं. 136 रकबा 0.22 है. की खातेदारी भारतीय गौ वंश रक्षण संवर्द्धन समिति, सीकर के नाम दर्ज है। चाहा गया रास्ता ग्राम रैवासा की उतरी सीमा पर अवस्थित है जिसके उतर में ग्राम बाजौर तहसील सीकर की सीमा लगती है। मौके पर उक्त रास्ता ग्राम रैवासा से बाजौर जाने वाली डामर सड़क से शुरू होकर पश्चिम दिशा में ग्राम रैवासा के ख.नं. 136 व 130 की उतरी सीमा के सहारे मौके पर रास्ता है जिसका राजस्व रेकार्ड मे अंकन नही है तथा ग्राम बाजौर की सीमा पर

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

पुख्ता डण्डा बना हुआ है जिसकी ऊंचाई लगभग 6 फुट है तथा ग्राम रैवासा के ख.नं. 136 में 18 फुट जगह छोड़कर डामर सड़क से 59 मी. लम्बाई तक पुख्ता डण्डा बना हुआ है। शेष लम्बाइ 72 मीटर तक इसी चौड़ाई 18 फुट में प्रचलित है व ख.नं. 130 में 52 मीटर लम्बाई तक उपरोक्त चौड़ाई के अनुसार रास्ता चालू है। ग्राम रैवासा में अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीया के खेत ख.नं. 700 मि. वाके ग्राम कहारों की ढाणी तन मलकेड़ा तहसील व जिला सीकर में आने जाने के लिए उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते के रकबे के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक, रैवासा की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर उक्त प्रस्तावित रास्ता चालू है लेकिन राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं है। उक्त आवेदित भूमियों ख.नं. 136 व 130 के खातेदारों ने जरिये वकील इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया को आने जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता दिया जाता है तो हमें किसी प्रकार का मुआवजा एवं जमीन की आवश्यकता नहीं है। उप तहसीलदार पलसाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ के ख.नं. 136 रकबा 0.22 है0 में से 131X9 = 1179 वर्गमीटर व ख.नं. 130 में से 52X9 = 468 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 1647 वर्गमीटर की पंजीयन दर के आधार पर मालियत 1,39,591 रू. होती है तथा 2 गुणा मालियत 2,79,182 रू. होती है। उक्त राशि खातेदारों के हिस्से अनुसार देय है। चूंकि खातेदारों ने जरिये वकील इकबालिया जवाब पेश कर उक्त प्रस्तावित रास्ते की एवज में किसी प्रकार का मुआवजा व जमीन नहीं लेने का कथन किया है तथा पटवारी हल्का रैवासा एवं भू अभिलेख निरीक्षक, रैवासा की मौका रिपोर्ट के अनुसार आवेदित रास्ता मौके पर चालू है तथा राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के निवेदन अनुसार रास्ते के बदले किसी प्रकार का मुआवजा व जमीन नहीं लिये जाने से खातेदारान को उक्त प्रस्तावित राशि देय नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया को अपने खेत ख.नं. 700 मि. में आने जाने हेतु आवेदित रास्ता दिया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ख.नं. 700 मि. रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम कहारों की ढाणी प.मं. मलकेड़ा तहसील व जिला सीकर में आने जाने के लिए आवेदित भूमि ख.नं. 130 रकबा 0.05 है0 गुलाब देवी पत्नी चौथूराम जाति कहार नि. कहारों की ढाणी तन बाजौर इकबाल खां पुत्र फतुखा जाति कायमखानी मुसलमान नि. गौरिया, भंवरलाल, कुरड़ाराम (फौत) पुत्रगण मालूराम जाति कहार नि. कहारों की ढाणी तन बाजौर की है एवं ख.नं. 136 रकबा 0.22 है. की खातेदारी भारतीय गौ वंश रक्षण संवर्द्धन समिति, सीकर की है। अतः आदेश है कि खातेदार/अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के द्वारा प्रार्थीया द्वारा आवेदित रास्ता के बदले मुआवजा व जमीन नहीं लिये जाने के इकबालिया कथन करने पर कोई

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

मुआवजा देय नहीं बनता है तथा उप तहसीलदार, पलसाना द्वारा प्रस्तावित ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के ख.नं. 136 रकबा 0.22 है0 में से 131X9 = 1179 वर्गमीटर व ख.नं. 130 में से 52X9 = 468 वर्गमीटर कुल रकबा 1647 वर्गमीटर को सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग किये जाने हेतु सिवाय चक गै.मु. रास्ता के रूप में कायम किये जाने हेतु उप तहसीलदार, पलसाना जिला सीकर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के ख.नं. 136 रकबा 0.22 है0 में से 131X9 = 1179 वर्गमीटर व ख.नं. 130 में से 52X9 = 468 वर्गमीटर कुल रकबा 1647 वर्गमीटर को सिवाय चक गैर मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अंकन व नक्शे में तरमीम करवाकर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावें। तदनुसार तहरीर जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 04.09.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ